राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी— हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 33/2021 जीसीएमएस नम्बर :— 2021/267

1. अजीत सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज)
2. मनजीत सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज)
3. कृष्णा देवी पत्नी स्व. भवरसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज)
4. उदित कुमार पुत्र स्व. भवरसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज)
5. विकास सिंह पुत्र स्व. भवरसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज)
6. ममता पुत्री स्व. भवरसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज)
7. सुचित्रा पुत्री स्व. भवरसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज)
8. नरेन्द्र सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज)
9. महेन्द्र सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज)
10. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज)
11. बजरंग सिंह पुत्र महेशदान सिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज)

............वादीगण

— ब ना म —

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

............प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.06.18 10:33:58 IST
Reason: SelfAttested

—: निर्णय :—

दावा— खाता विभाजन दिनांक 23/05/24

वादीगण की ओर से वाद पत्र रहा कि :—

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम भोपालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 122 के ख.न. 191/36 रकबा 0.54 हैक्टर ख.न. 33 रकबा 1.88 हैक्टर ख.न. 36 रकबा 1.00 हैक्टर किता 3 रकबा 3.42 हैक्टर मे वादी स.1 व 2 का 1/3 हिस्सा, वादी सं. 3 लगा. 7 का 1/6 हिस्सा व वादी संख्या 8 लगा. 10 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 11 का 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि का वादीगण ने आपस में बाहमी बटवारा किया हुआ है। लेकिन विधिवत् रूप से विभाजन नही होने से वादीगण अपनी भूमि में पेड़ पौधे नही लगा सकते तथा ना ही अपनी भूमि में कोई भी सुधार कार्य करवा सकते है। वादीगण ग्राम कानसिंहपुरा के निवासीगण है तथा उन्हे रिकार्ड में लाम्बी अहीर दर्ज रिकार्ड किया हुआ है जिसे दुरूस्त किया जाकर निवासीगण कानसिंहपुरा किया जावे।

वादी ने वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा किः—

(क). कि वाके ग्राम कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 122 के ख.न. 191/36 रकबा 0.54 हैक्टर ख.न. 33 रकबा 1.88 हैक्टर ख.न. 36 रकबा 1.00 हैक्टर किता 3 रकबा 3.42 हैक्टर मे वादी स.1 व 2 का 1/3 हिस्सा, वादी सं. 3 लगा. 7 का 1/6 हिस्सा व वादी संख्या 8 लगा. 10 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 11 का 1/6 हिस्सा का खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ख). वादीगण को वाके ग्राम लाम्बी अहीर की जगह कानसिंहपुरा दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी भूमिधारक तहसीलदार की तलबी जारी की गई। बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 15.03.2022 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.04.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 99 दिनांक 06.02.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 3462 दिनांक 15.12.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई एतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075—2078 वाके ग्राम भोपालपुरा स्थित भूमि हाल खाता संख्या 122 के पक्षकारान के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.06.13 10:32:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्या : 33/2021
जीसीएमएस वाद संख्या : 2021/267
अजीत सिंह बनाम सरकार आदि

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादीगण खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 99 दिनांक 06.02.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 3462 दिनांक 15.12.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 23/05/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.06.13 10:32:58 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 33/2021 जीसीएमएस नम्बर :– 2021/267
निर्णय दिनांकः– 23/05/24

अजीत सिंह **बनाम** सरकार आदि

दावा खाता विभाजन एवं घोषणात्मक

वादीगण की ओर से **श्री प्रविन्द्र सिंह शेखावत एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या 1 की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23/5/24 को **श्री हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिकी दी जाती हैं कि –

" न्यायालय वाद वादीगण खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह आज तारीख 23/5/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.06.13 10:32:58 IST
Reason: SelfAttested